Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

गिरधारी पुत्र खेतपाल जाति स्वामी निवासी ढुकराना

किस्म मुकदमाः— 136 भू–राजस्व अधिनियम

प्रकरण संख्याः 79 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.08.20	आज यह पत्रावली प्रार्थी द्वारा पेश करने पर पेशी में ली गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में बताया कि प्रार्थी ग्राम ढुकराना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान का निवासी हैं जो कि प्रार्थी के नाम से रोही रत्तासर के जमाबन्दी खाता संख्या 65/66 खसरा नम्बर 337 में कुल 7.5880 हैक्टेयर बारानी दर्ज मुश्तरका खाते में ब.हि.ब. दर्ज हैं जो कि भूमि में अब प्रार्थी का 1/2 हिस्सा भूमि हैं जिसके हिसाब से 3.794 हैक्टेयर भूमि होती हैं जबकि सहबन से जमाबन्दी में हिस्सा भूमि 3.974 हैक्टेयर का अंकन हो गया हैं जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवाना चाहता हैं। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सूरतगढ़ व पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ग्राम रत्तासर के खाता संख्या 65 रकबा 7.5880 हैक्टेयर भूमि खातेदारी दर्ज थी। जिसमें नामान्तरकरण सख्या 527 दिनांक 09.02.2013 में सहमती विभाजन से खसरा नम्बर 337 रकबा 7.5880 हैक्टेयर के गोमती पत्नी खेतपाल जाति स्वामी सा. ढुकराना खातेदार खसरा नम्बर 337 रकबा 3.974 हैक्टेयर तथा गिरधारी पत्नी खेतपाल जाति स्वामी सा. ढुकराना खातेदार खसरा नम्बर 337 रकबा 3.974 हैक. का आदेश होकर नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ। जबकि खाते की कुल भूमि रकबा 7.588 हैक्टेयर हैं। अतः नामान्तरकरण संख्या 527 हैक्टेयर विभाजन से बने खसरो का रकबा 3.794 व 3.794 हैक्टेयर होना चाहिए था जो सहवन से 3.974 व 3.974 दर्ज हो गया हैं। अतः खसरा नम्बर 337 रकबा 3.794 हैक्टेयर गोमती पत्नी खेतपाल तथा गिरधारी पुत्र खेतपाल खसरा संख्या 337 रकबा 3.794 हैक्टेयर दर्ज किया जाना उचित हैं। प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी व रिपोर्ट तहसीलदार यह एक तकनीकी त्रूटि हैं जो दुरूस्त की जानी आवश्यक हैं, इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम रोही रत्तासर तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 65 जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 के खसरा नम्बर 337 में इन्तकाल संख्या 527 के अंकित नोट में गोमती पत्नी खेतपाल के आगे दर्ज हिस्सा खसरा नम्बर 337 = 3.974 हैक्टेयर तथा गिरधारी पुत्र खेतपाल के आगे दर्ज हिस्सा खसरा नम्बर 337 = 3.974 हैक्टेयर के स्थान पर दोनो के आगे 3.794 –3.794 हैक्टेयर हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जमाबन्दी की अन्य समस्त प्रविष्टियां पूर्ववत रहेगी। तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम तहरीर जारी हो। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	5720 20.08.2020

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 17:07:43 IST
Reason: SelfAttested